HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endorsement No. C/2290 Jabalpur, dated 08.6.2016.

The copy of the Notification of the Government of M.P. F.No.1/5/96/XXI-B(one)/2051/2016, Bhopal, dated 07.6.2016 as per the provisions of Rule 3(1) of the Prevention of Corruption Act, 1988 is forwarded to;

1. Registrar cum P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of M. P., Jabalpur for kind information of Hon'ble the Acting Chief Justice,
2. The Registrar General, High Court of M.P., Jabalpur for kind information,
3. Principal Registrar, High Court of M.P. Bench at Gwalior and Indore for information,
4. The District and Sessions Judges Bhopal and Indore for information and necessary action with request that the same be served on the concerned Officers also.
5. The Section Officer, Confidential/Checker, High Court of M.P., Jabalpur for information.
6. Server Room, Computer for uploading the same on the website.

08.6.2016

(Vivek Saxena)
O.S.D.(D.E.)

1151

उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश
08 JUN 2016
जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 6 जून, 2016

फा.क्र. 1/5/96/21–ब(एक) 2051/2016, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और इस विभाग की अधिसूचना फा. क. 1/5/96/21–ब(एक) 3277/2016, दिनांक 01.11.2014 को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा फा. क. 1/5/96/21–ब(एक) 186/2015, दिनांक 07.02.2015 एवं फा. क 1/5/ 96/ 21 –ब(एक) 1510/2016, दिनांक 05.05.2016 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीशों को सारणी के कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्टि मुख्यालय के लिए सारणी के कालम (4) में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 उपधारा (1) खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधो के संबंध में तथा दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं.25) के अधीन अन्वेषण किये गये अन्य समस्त अपराधों के संबंध में, मामलों के विचारण के लिए, विशेष न्यायाधीश के रुप में नियुक्त करता है:–

सारणी

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम	मुख्यालय	विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री रविन्द्र कुमार भद्रसेन, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, होशंगाबाद, गुना, राजगढ़, हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर
2	श्री जय प्रकाश सिंह, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, धार, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, मण्डलेश्वर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, खंडवा, नीमच, बड़वानी, अलीराजपुर एवं बुरहानपुर

08 JUN 2016

REGISTRAR GENERAL (Admin)
HIGH COURT OF M.P.
JABALPUR

O.S.D.(D.E.)

NOTIFICATION

F.N.1/5/96/XXI-B(one)/2051/2016, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), and in partial supersession of this departments notification F.No. 1/5/96/XXI-B(One)3277/2014, dated 01.11.2014 and in supersession of this departments notification F.No. 1/5/96/XXI-B (One) 186/ 2015, dated 07.02.2015 and F.No. 1/5/96/XXI-B (One)1510/2016, dated 05.05.2016, the State Government, in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, appoints the Additional Sessions Judges specified in column (2) of the Table below to be the Special Judge with the head quarter specified in the corresponding entry in column (3) thereof for the areas comprising in column (4) thereof to try the cases relating to the offences specified in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 3 of the said Act and all other offences investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation, namely:-

TABLE

S. No.	Name of Judge	Head Quarter	Jurisdiction of special court
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Raveendra Kumar Bhadrasen, IInd Additional Sessions Judge, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Raisen, Gwalior, Bhind, Morena, Shivpuri, Datia, Tikamgarh, Vidisha, Chhatarpur, Betul, Hoshangabad, Guna, Rajgarh, Harda, Sheopur and Ashoknagar.
2.	Shri Jai Prakash Singh, IVth Additional Sessions Judge, Indore	Indore	Indore, Dhar, Ratlam, Jhabua, Mandsaur, Mandleshwar, Ujjain, Dewas, Shajapur, Khandwa, Neemuch, Badwani, Alirajpur and Burhanpur.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(विरेन्दर सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ.फा.क्रमांक 1/5/96/21-ब(एक)2051/2016, भोपाल,दिनांक06/06/2016.
प्रतिलिपिः-

(1) रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, के पत्र कमांक ए/1696/III-(-5/14, दिनांक 27.05.2016 के संदर्भ में,
(2) पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, भोपाल,
(3) उप नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल (म.प्र. राजपत्र भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
( ) केवल मुद्रणालय के लिये।
(4) शाखा प्रभारी, आय.टी.शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल,

की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत् प्रेषित।

6/6/16
(आर.के.वाणी)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग